एफ.सं.1/12(7)/2024-भ.-III
संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-III अनुभाग

पुनः परीक्षित अंतिम संवीक्षा/लघुसूचीबद्ध करने का विवरण	
पद का नाम	अंडमान महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (संगीत) के पद हेतु एक (अ.ना.-01) रिक्ति।
विज्ञापन संख्या	07/2024
रिक्ति संख्या	24040722313

अनिवार्य योग्यता (अ.यो.)	(क) **शैक्षणिक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संगीत में 55% अंकों (या जहां कहीं ग्रेड सिस्टम प्रचालन में है वहां किसी पॉइंट पैमाने में समकक्ष ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त एसएलईटी/एसईटी जैसा कोई समान परीक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। अथवा उम्मीदवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, पीएच.डी. डिग्री प्रदान की गई हो,:बशर्ते, यह भी कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 11 जुलाई, 2009 से पहले पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण किया था, वे डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों / उप-नियमों / विनियमों के दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएच.डी. उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी / एसएलईटी / एसईटी की आवश्यकता में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन छूट दी जाएगी:

	(क) उम्मीदवार की पीएच.डी. डिग्री नियमित माध्यम में प्रदान की गई हो; (ख) पीएच.डी. शोध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो; (ग) उम्मीदवार की एक ओपन पीएच.डी. मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो; (घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो शोध पेपर प्रकाशित किए हों, जिसमें से कम से कम एक किसी संदर्भित पत्रिका में हो; (ङ) उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद या किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्त पोषित/समर्थित सम्मेलन/संगोष्ठी में अपने पीएच.डी. कार्य के आधार पर कम से कम दो पेपर प्रस्तुत किए हों। उपर्युक्त (क) से (ङ) तक की शर्तों की परिपूर्णता, संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/डीन (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। अथवा (ख) स्नातक डिग्रीधारी तथा संबंधित विषय में अत्यधिक सराहनीय व्यावसायिक उपलब्धि वाला एक पारंपरिक या पेशेवर कलाकार: (i) जिसने एक प्रसिद्ध / प्रतिष्ठित पारंपरिक मास्टर (रों) / कलाकार (रों) के अंतर्गत अधीन दीक्षा ली हो। (ii) वह आकाशवाणी/दूरदर्शन का 'क' ग्रेड कलाकार रहा हो। (iii) संबंधित विषय में तर्कसम्मत विचार से समझाने की क्षमता होनी चाहिए; और (iv) संबंधित विषय में सिद्धांत पक्ष के चित्रण सहित अध्यापन की पर्याप्त जानकारी हो।

Modalities adopted	i) संवीक्षा उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में भरी गई जानकारी के अनुसार कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट और इसके साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। ii) स्नातकोत्तर डिग्री (संगीत) में प्रथम श्रेणी वाले उम्मीदवारों पर विचार किया गया है क्योंकि प्रथम श्रेणी 55% से अधिक अंक लाने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की जाती है। (iii) वाद्य बाँसुरी एवं वॉइलिन जैसे विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री पर भी विचार किया गया है। iv) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है। **नोट : आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।**

3. संवीक्षा विवरण दिनांक 24/06/2024 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे ताकि अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों को दिनांक 04/07/2024 तक अपनी अस्वीकृति के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

4. दिनांक 10/07/2024 तक 06 उम्मीदवारों से ई-मेल अभ्यावेदन/सीएफडी प्राप्त हुए है और उनकी जांच की गई है। विचारार्थ क्षेत्र के अंतर्गत सभी आवेदनों की पुनः जांच की गई है। ऑन-लाइन आवेदनों, शैक्षणिक योग्यताओं और ओआरए के साथ प्राप्त हुए समर्थित दस्तावेजों और आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंडों और मापदंडों के संदर्भ में ई-मेल और अभ्यावेदनों की पुनः जांच की गई है। तदनुसार, इसकी परिणामी टिप्पणियां और प्रस्ताव नीचे तालिकाबद्ध हैं।

क्रम.सं.	अनुक्रमांक	मांगे गए दस्तावेज	अभ्युक्तियां
1.	03	यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा आयोजित एनईटी पास करने का प्रमाण।	उम्मीदवार ने मांगे गए यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की है। इस कारण, उसे लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।
2.	04	i.जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 10 वीं का प्रमाण-पत्र। ii.यूजीसी विनियम, 2009 या 2016 के अनुसार जारी की गई पीएच.डी. डिग्री का प्रमाण।	उम्मीदवार ने न तो जन्मतिथि प्रमाण के लिए 10 वीं के प्रमाण-पत्र की प्रति और ना ही विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन से यह सत्यापित की जाने वाली प्रति प्रस्तुत की है कि पीएच.डी. डिग्री यूजीसी विनियम, 2009 या 2016 के अनुसार प्रदान की गई हो। **इस कारण, उसका आवेदन एलईक्यू-क के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है।**

3.	08	i.जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 10 वीं का प्रमाण-पत्र। ii.संगीत में स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण-पत्र। iii. यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा आयोजित एनईटी पास करने का प्रमाण।	उम्मीदवार ने पहले ही जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में 10 वीं की अंकतालिका ऑन-लाइन प्रस्तुत कर दी है और मांगे गए यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र और संगीत में स्नातकोत्तर डिग्री प्रस्तुत कर दी है। **उसे लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**
4.	10	जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में 10 वीं का प्रमाण-पत्र।	उम्मीदवार ने जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मांगे गए 10 वीं के प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत कर दी है। 10 वीं के प्रमाण-पत्र में उसकी जन्मतिथि 03.08.1992 डी गई है। **अतः उसे लघुसूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है।**
5.	11	i.10 वीं के प्रमाण-पत्र में उम्मीदवार की माता का नाम मेल नहीं होने कारण शपथ-पत्र। ii. यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा आयोजित एनईटी में पास होने का प्रमाण **या** iii. यूजीसी विनियमों, 2009 या 2016 के अनुसार जारी की गई पीएच.डी. डिग्री का प्रमाण।	उम्मीदवार ने मांगे गए यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र एक प्रति प्रस्तुत कर दी है। यद्यपि, उसने 10 वीं के प्रमाण-पत्र में अपनी माता का उपनाम नहीं होने को न्यायसंगत ठहराने का कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, उसकी माता का सही नाम उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र में उपलब्ध है। **इस कारण, उसे लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**
6.	16	i.सीजीपीए 6.45 55% के समान या उससे अधिक है, के संबंध में प्रमाण या प्रमाण-पत्र। ii. यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा आयोजित एनईटी पास करने का प्रमाण।	उम्मीदवार ने मांगा गया यूजीसी-एनईटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है और सूचना दी है कि उसने कला मास्टर डिग्री (संगीत) में कुल 2150 में से 1223 अंक प्राप्त किए है जो कि 56.88 अंक है। **इस कारण, उसे लघुसूचीबद्ध किया जा सकता है।**

अभ्यावेदन			
7.	22	एलईक्यू-क	आवेदक ने अपने ऑन-लाइन आवेदन के साथ-साथ अभ्यावेदन में संगीत में मास्टर डिग्री या संगीत में अनंतिम उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। उसने 80% अंकों सहित केवल स्वर (वोकल) संगीत में समेकित अंतिम ग्रेड कार्ड और संगीत में यूजीसी-नेट का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। हालांकि, अपने अभ्यावेदन में, उसने साक्षात्कार से पहले यह प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। चूंकि साक्षात्कार के लिए आवेदक के चयन हेतु संबंधित विषय में अंक तालिका सहित मास्टर डिग्री प्रमाण-पत्र या अनंतिम रूप से पास करने का प्रमाण-पत्र पूर्व-अपेक्षित है, इसलिए **उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।**

इस प्रकार, ई-मेल/अभ्यावेदनों की जांच के पश्चात, एक उम्मीदवार (अनुक्रमांक-04) जिसे पहले अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था, उसे अस्वीकृत कर दिया गया है, क्योंकि उसने मांगे गए दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। अन्य उम्मीदवारों की अनंतिमता समाप्त कर दी गई है। तथापि, केवल एक उम्मीदवार (अनुक्रमांक-22) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और औचित्य को संतोषप्रद नहीं पाया गया है और आयोग के प्रारम्भिक निर्णय को संशोधित और परिवर्तित कर लघुसूचीबद्ध करने के लिए पर्याप्त और ठोस आधार प्रदान नहीं करते हैं। इस प्रकार, उसकी अस्वीकृति बरकरार रखी गई है।

तदनुसार, संवीक्षा को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है:

01 (एक) अना. श्रेणी की रिक्ति हेतु संवीक्षा:

मानदंड: अ.यो.(क) (i) + (ii)

<u>साक्षात्कार हेतु बुलाने के लिए:</u>

अनुक्रमांक:	02	03	08
	10	11	16

(06 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

एलईक्यू-क:

अनुक्रमांक:

01	04	05	06	07	09
12	13	14	15	18	19
20	21	22	23	24	25
26					

(19 उम्मीदवार)

निर्धारित आयु से अधिक आयु:

अनुक्रमांक:

17 27

(02 उम्मीदवार)

इस पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची आयोग के वेबसाइट पथ:मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची में अपलोड कर दी गई है।

इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

संकेतक:

एलईक्यू-क (अनिवार्य योग्यता - क में कमी)

परामर्शदाता/उप सचिव भ.-III